

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-14/सात-1/2013.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित क्षेत्र के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन समक्ष प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत एवं नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

| सरल क्रमांक<br>(1) | अधिकारी का पदनाम<br>(2)               | क्षेत्राधिकार<br>(3)                               |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1                  | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत ग्राम किरन्दुल एवं मदाडी |

No. F 7-14/REVENUE/SEVAN-1/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (No. 7 of 2004), the State Government, hereby, authorizes and appoints the following officer as mentioned in column (2) of the Schedule below as Competent Authority under the said Act, for the area as mentioned in column (3) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

| S. No.<br>(1) | Name of the Officer<br>(2)                    | Jurisdiction<br>(3)                                       |
|---------------|---|---|
| 1             | Sub Divisional Officer (Revenue)<br>Dantewada | Kirandul and Madadi villages under<br>District Dantewada. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 201, दिनांक 27 मार्च, 2015 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, 27 मार्च, 2015 के हिन्दी पाठ में,—

1. पृष्ठ क्रमांक 402 (2) की पंक्ति 19 में "निजी" को "किसी" पढ़ा जाये.
2. पृष्ठ क्रमांक 402 (44) की पंक्ति 28 में "नियम" को "नियत" पढ़ा जाये.
3. पृष्ठ क्रमांक 402 (54) की पंक्ति 17 में "सम्मिलित है" के पश्चात् "के बगैर" पढ़ा जाए.

4. पृष्ठ क्रमांक 402 (61) की पंक्ति 8 में "अभियोजन" को विलोपित समझा जाये.
5. पृष्ठ क्रमांक 402 (67),—
  - (एक) पंक्ति 2 में "उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन" के पश्चात् "अनुज्ञापत्र का धारक उस भूमि के धरातल के अधिभोगी को ऐसा वार्षिक प्रतिकर, जो कि" पढ़ा जाये; और
  - (दो) पंक्ति 6 एवं 7 में "अनुज्ञापत्र का धारक उस भूमि के धरातल के अधिभोगी को ऐसा वार्षिक प्रतिकर, जो कि" को विलोपित समझा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इम्फत आरा, उप-सचिव.

### श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 10-12/2015/16.—"छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27, सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 10-12/2015/16, दिनांक 30-09-2015 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित अधिकारियों को क्रमशः श्रम पदाधिकारी एवं उप श्रम पदाधिकारी नियुक्त करता है :—

| अनु. क्र. | प्रथम अनुसूची               | अनु. क्र. | द्वितीय अनुसूची        |
|-----------|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 1.        | श्री एस. एल. जांगड़े        | 1.        | श्री व्ही. आर. पटेल    |
| 2.        | श्रीमती सविता मिश्रा        | 2.        | श्री बी. एस. वर्मा     |
| 3.        | श्री सत्यप्रकाश वर्मा       | 3.        | श्री रूबेन खेस्स       |
| 4.        | श्री देवप्रकाश तिवारी       | 4.        | श्री पी. के. बिचपुरिया |
| 5.        | श्रीमती अनिता गुप्ता        | 5.        | श्री डी. के. राजपूत    |
| 6.        | श्री उपेन्द्र कुमार मेश्राम | 6.        | श्री एस. के. सिंह      |
| 7.        | श्री सूर्यभान सिंह पैकरा    | 7.        | श्री जी. डी. प्रसाद    |
| 8.        | श्री विकास सरोदे            | 8.        | श्री आर. के. तम्हाने   |
| 9.        | श्री भंवर सिंह बरिहा        | 9.        | श्री अशोक चौरसिया      |
| 10.       | श्री यू. के. कच्छप          | 10.       | श्री किमजोर केरकट्टा   |
|           |                             | 11.       | श्री के. के. सिंह      |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

### जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

विषय :- "राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छ.ग." में, सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग को सदस्य के रूप में शामिल करने एवं समिति के सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव, जल संसाधन विभाग के स्थान पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जल संसाधन विभाग को शामिल करने बाबत ।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का संकल्प क्र.-778/जसं/तशा/7/2001, रायपुर दिनांक 08-03-2001.

क्रमांक 6765/पी-7/जसं/तशा/औजप्र/14/डी-4.—विषयान्तर्गत संदर्भित शासन के संकल्प दिनांक 08-03-2001 द्वारा गठित, "राज्य